<u>न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक</u>

प्रकरण संख्या 41/2023

श्री राजेन्द्र चौधरी पुत्र प्रभुनारायण, रेल्वे स्टेशन टोरडी सागर अम्बापुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक 01.01.2024

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

जन सुनवाई दिनांक 11.06.2015 स्थान पंचायत समिति मालपुरा परिवादी राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुनारायण, कौशल्या देवी पत्नी प्रभुनारायण के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर जो कारवाई की गयी उसकी सूचना उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को पत्र कमांक 1158 दिनांक 11.12.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने पत्र कमांक 5785 दिनांक 18.12.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 5735 दिनांक 14.12.2023 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते